


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
18 <sup>02</sup> / <sub>2024</sub>	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रवीगिता को सम्मन मय नवल जारी होकर पत्रावली वास्तु जवाब दिनांक 30/03/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी रावतमाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	
30 <sup>03</sup> / <sub>2024</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी गोपाल स्वामि देह (ग्राम बड़ोदिया) खातेदार जयेश पुजारी दिनेश पुत्र कैलाश वैष्णव आशु बालिग जाति वैष्णव बैरागी पेशा पुजारी सेवा-यूजा निवासी- बड़ोदिया, तह. रावतमाटा जिला- चित्तौड़गढ़, (रा.नं.)। ने ग्राम बड़ोदिया, प.ह. बड़ोदिया, तह. रावतमाटा, स्थित खातेदारी की आराधी नं. 303 रकबा 0.17 हेक्टर खाता संख्या 41, की पत्थरगढ़ी करामे जान हेतु निवेदन किया है। उक्त आराधी प्रार्थी के खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी गोपाल जयेश पुजारी दिनेश पुत्र कैलाश वैष्णव आशु बालिग जाति वैष्णव बैरागी पेशा पुजारी- सेवा यूजा निवासी- बड़ोदिया, प.ह. बड़ोदिया स्थित आ.नं. 303 रकबा 0.17 हे. की बिना किसी के कब्र में दण्डलन्दाजी क्रिये सेटलमेंट नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढ़ी खर्चा</p>	

S-99A  
L-1110

III No. 111  
राजस्थान सरकार  
(85 नम्बरी)

दिनांक: 1/11/2018

जिला: जयपुर

अदालत : 1  
किस्म मुकदमा

प्रार्थी वहन करेगी। कमिश्नर शुल्क 500/- रुपये  
अश्वर पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसूल हो।  
पालनार्थ तहसीलदार रावतभ्राय को लिखा  
जावे कि पञ्चवारान की सूचित किया जाकर  
निम्नानुसार उक्त आराजी की पत्थरगरी  
की जावे एवं कोई विवाद हो तो पुनः  
पेश करे। पालना प्राप्त हो। पत्रावली  
फैसल शुमार डायर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
राजस्थान (जयपुर)

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*